उत्तरांचल शासन
वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग
सं0 46 B / वि0 अनु0–5 / 2001

देहरादूनः 24 दिसम्बर 2001

विज्ञप्ति

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनिमय, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2000 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2000) की धारा 8 (यथा उत्तरांचल राज्य में प्रभावी है), द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर नियमावली, 1999 यथा उत्तरांचल राज्य में प्रभावी है, को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) नियमावली यथा उत्तरांचल राज्य में प्रभावी है, 2001

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः–

(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) नियमावली यथा उत्तरांचल राज्य में प्रभावी है, 2001 कही जायेगी।

(2) यह 26 फरवरी, 2001 से प्रवृत्त होगी।

2. नये नियम–7 का बढ़ाया जानाः–

उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर नियमावली, 1999 यथा उत्तरांचल में प्रभावी है, में जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, नियम 6 के पश्चात् निम्नलिखित नियम बढ़ा दिया जायेगा, अर्थातः–

"7– विनिर्माता द्वारा कर की वसूली और जमाः–

धारा 4–क के अधीन राज्य सरकार द्वारा विज्ञापित माल का उत्तरांचल में किसी व्यापारी को विक्रय, आपूर्ति या अन्यथा भेजे जाने के लिये उत्तरांचल में उत्तरदायी विनिर्माता–

(क) माल के मूल्य पर देय कर की धनराशि का सम्बन्धित कर निर्धारक प्राधिकारी के नाम से मांग ड्राफ्ट द्वारा वसूल करेगा और उसे अगले उत्तरवर्ती मास के अन्त से पूर्व सरकारी कोषागार में जमा करेगा;

(ख) कर निर्धारक प्राधिकारी को अगले उत्तरवर्ती मास की समाप्ति के पूर्व प्रपत्र–च में ऐसे विक्रय धन की मासिक विवरणी जिसमें उसके अनुलग्नक में विस्तृत सूचना दी हो, कर के जमा करने के प्रमाण के लिये कोषागार के चालान के साथ प्रस्तुत करेगा;

(ग) कर की वसूली के दो माह के भीतर और उसे जमा करने के एक माह के भीतर व्यापारी को प्रपत्र–छ में प्रमाण–पत्र जारी करेगा। किसी भी एक प्रमाण–पत्र में एक माह से अधिक का संव्यवहार अच्छादित नहीं होगा।"

3. नये प्रपत्र–च और का बढ़ाया जानाः–

उक्त नियमावली में प्रपत्र–ड़ के पश्चात निम्नलिखित प्रपत्र बढ़ाये जायेगेंः–

प्रपत्र–च

(नियम 7 का उपखण्ड (ख)देखें)

विक्रय धन की विवरणी जिस पर————————मास के लिये कर वसूल किया गया है

1– विनिर्माता का नाम————————————

2– पूरा पता————————————————

3– विवरणी प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का नाम
और हैसियत (अर्थात मालिक, भागिदारी, निदेशक)————————————

4– वस्तु का नाम जिस पर कर वसूल किया गया है————————————

5– माल के दौरान सम्भारित———————————— रूपये

6– व्यापारी से वसूल की गई कर की कुल धनराशि————————————

7– कोषागार में जमा कर————————————————

धनराशि————————रूपये
चालान संख्या————————
दिनांक————————

घोषणा

मैं————————————के ज्ञात व्यवसाय के———————— (हैसियत– स्वामी, भागीदार, निदेशक आदि) के रूप में अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ और सत्यापित करता हूँ कि विवरणी में दिया गया विवरण अंक और अनुलग्नक सत्य और पूर्ण है और जानबूझकर कुछ भी छिपाया नहीं गया है या असत्य कहा गया है।

स्थान————————
दिनांक————————

हस्ताक्षर————————————
हैसियत————————————

अनुलग्नक

————————माह के लिये विक्रय धन

क्र0स0	व्यापारी का नाम और पता	बिल संख्या	दिनांक	माल का मूल्य (रूपये में)	वसूल किया गया कर	बैंक ड्राफ्ट संख्या और दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
माल के मूल्य का कुल योग और वसूल किया गया कर						

हस्ताक्षर————————
हैसियत ————————

प्रपत्र–छ

(नियम 7 का खण्ड (ग)देखें)

उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 यथा उत्तरांचल राज्य में प्रभावी है, की धारा 4–क के अधीन वसूल किए गये कर का प्रमाण–पत्र

1– कर वसूल करने वाले विनिर्माता का नाम व पता–––––––––––––––––––––––

2– प्रमाणित किया जाता है–––––––––––––––––– (व्यापारी का नाम और पता) से––––––––––––––रूपये (––––––––––रूपये) (शब्दों में) की धनराशि––––––– मास के लिये वसूल की गई है उसका भुगतान नीचे विवरणी के अनुसार सरकारी कोषागार से कर दिया गया है:–

क्र0स0	बिल संख्या	दिनांक	माल का मूल्य	वसूल किया गया कर	भुगतान की गयी धनराशि	चालान संख्या और दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						
योग						

स्थान––––––––––

दिनांक–––––––––

हस्ताक्षर–––––––––––––––

हैसियत––––––––––––––

आज्ञा से,

(इन्दु कुमार पाण्डे)
सचिव, वित्त